यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

वाद संख्याः **311/2021** दायर दिनाँक **01.12.2021**

वादी

1. इब्राहीम खां पुत्र अली खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. आमीना बानो पत्नि गुलाब खां
2. अनवर पुत्र गुलाब खां
3. शब्बीर पुत्र गुलाब खां
4. रजिया पत्नि ईशाक खां
5. ऐजाज पुत्र ईशाक खां
6. अजीज पुत्र ईशाक खां
7. असलम पुत्री ईशाक खां
8. सलमा पुत्री ईशाक खां
9. लीलु पुत्री ईशाक खां
10. मोना पुत्री ईशाक खां
11. युनुस खां पुत्र अली खां
12. रजिया पुत्री अली खां
13. मदीना पुत्री अली खां
14. जमीला पुत्री अली खां
15. परवीन पुत्री अली खां
16. मुमताज पुत्री अली खां
17. जैतुन पुत्री अली खां
18. मौबिन पुत्री अली खां
19. नसीम पुत्री अली खां
20. मरियम बानो पत्नि अली खां
21. हनीफ खां पुत्र उम्मेद खां
22. मुस्ताक खां पुत्र उम्मेद खां
23. बुली बानो पत्नि हबीब खां
24. मनसब पुत्र हबीब खां
25. आरिफ पुत्र हबीब खां
26. इस्लाम पुत्री हबीब खां
27. यासमीन पुत्री हबीब खां
28. अजीज खां पुत्र उम्मेद खां
29. सिकन्दर खां पुत्र उम्मेद खां
30. मुराद खां पुत्र उम्मेद खां
31. रहीसा पुत्री उम्मेद खां
32. गुलशन पुत्री उम्मेद खां
33. जन्नत पुत्री उम्मेद खां
34. अयुब माता हाजरा पुत्री आब्दी खां
35. ईसब माता हाजरा पुत्री आब्दी खां
36. युनुस माता हाजरा पुत्री आब्दी खां
37. शब्बीर माता हाजरा पुत्री आब्दी खां
38. सैयदन माता हाजरा पुत्री आब्दी खां
    समस्त जातिगण कायमखानी
    निवासीगण बेरी खुर्द तहसील डीडवाना
    जिला नागौर राज0।
39. तहसीलदार डीडवाना, जिला नागौर राज0।

[illegible]

घोषणा खातेदारी व रेकर्ड [illegible]

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 [illegible] Act

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:31 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी।

[illegible]यक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 38 एक ही परिवार के सदस्य है तथा जाब्दीखां खां के विधिक वारिसान है। खेत खसरा सं0 295 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा वाकै शरहद बेरी खुर्द में अवस्थित है। जिसकी पूर्व में खातेदारी जाब्दीखां खां के नाम थी तथा जाब्दीखां ने अपने जीवनकाल में ही उक्त खेत जरिये रजिस्टर्ड बैचान अख्रे 1300 रूपये नगद दिनांक 29.07.1963 को जिल्द सं0 07 क्रम सं0 138/63, बही नम्बर सं0 01 पृष्ठ सं0 305 व 306 के जरिये आब्दी खां बैचाण कर दी। जिसके पश्चात इस भूमि पर आब्दी खां का कब्जा काश्त चला आ रहा है व आब्दी खां की फौतगी के पश्चात उसके विधिक वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह है कि तत्समय के राजस्व अधिकारियों ने आब्दी खां का नाम सहवन से उक्त रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया एवं आब्दी खां की मृत्यु हो गई तथा उसके परिवार वालो ने इस तथ्य की ओर आज दिन तक किसी प्रकार का कोई गौर नही किया अभी हाल ही में नकल खतौनी लेने से ज्ञात हुआ कि उक्त रजिस्टर्ड बैचान से आज दिन तक नामान्तकरण नही भरा गया है।

यह है कि उपरोक्त खसरान की भूमि में उक्त रजिस्ट्री के आधार आब्दीखां का नाम सहवन से दर्ज नही किया गया। जिससे आब्दी खां के फौतगी के पश्चात उनके विधिक वारिसान जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है तथा वादी को अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त आब्दी खां के वारिसान का है। इसलिए वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी की प्रार्थना निम्न प्रकार है :–

यह है कि खातेदारी जाब्दी खां द्वारा आब्दी खां को दिनांक 29.07.1963 को रजिस्टर्ड बैचाण करने के पश्चात खेत खसरा सं0 295 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा सरहद बेरी खुर्द की खातेदारी में वर्तमान खातेदार का नाम हटाकर वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 38 के नाम घोषित किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी 01 ता 38 आदेश 05 के नियम 1 व 5 के तहत जरिये अकबार साया तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 39 को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 295 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा सरहद बेरी खुर्द की खातेदारी में वर्तमान खातेदार जाब्दी खां का नाम हटाकर वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 38 के नाम घोषित खातेदारी की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 25.07.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री यमुकदद्में इक्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या 311/2021 दायर दिनांक 01.12.2021

वादीगण

1. इब्राहीम खां पुत्र अली खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. आमीना बानो पत्नि गुलाब खां
2. अनवर पुत्र गुलाब खां
3. शब्बीर पुत्र गुलाब खां
4. रजिया पत्नि ईशाक खां
5. ऐजाज पुत्र ईशाक खां
6. टजीज पुत्र ईशाक खां
7. असलम पुत्री ईशाक खां
8. सलमा पुत्री ईशाक खां
9. लीलु पुत्री ईशाक खां
10. मोना पुत्री ईशाक खां
11. युनुस खां पुत्र अली खां
12. रजिया पुत्री अली खां
13. मदीना पुत्री अली खां
14. जमीला पुत्री अली खां
15. परवीन पुत्री अली खां
16. मुमताज पुत्री अली खां
17. जैतुन पुत्री अली खां
18. मौबिन पुत्री अली खां
19. नसीम पुत्री अली खां
20. मरियम बानो पत्नि अली खां
21. हनीफ खां पुत्र उम्मेद खां
22. मुस्ताक खां पुत्र उम्मेद खां
23. बुली बानो पत्नि हबीब खां
24. मनसब पुत्र हबीब खां
25. आरिफ पुत्र हबीब खां
26. इस्लाम पुत्री हबीब खां
27. यासमीन पुत्री हबीब खां
28. अजीज खां पुत्र उम्मेद खां
29. सिकन्दर खां पुत्र उम्मेद खां
30. मुराद खां पुत्र उम्मेद खां
31. रहीसा पुत्री उम्मेद खां
32. गुलशन पुत्री उम्मेद खां
33. जन्नत पुत्री उम्मेद खां
34. अयुब माता हाजरा पुत्री आब्दी खां
    ईसब माता हाजरा पुत्री आब्दी खां
35. युनुस माता हाजरा पुत्री आब्दी खां
36. शब्बीर माता हाजरा पुत्री आब्दी खां
37. सैयदन माता हाजरा पुत्री आब्दी खां
    समस्त जातिगण कायमखानी
    निवासीगण बेरी खुर्द तहसील डीडवाना
    जिला नागौर राज0।

तहसीलदार डीडवाना, जिला नागौर राज0।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत्
बंटयारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 25.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 295 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा सरहद बेरी खुर्द की खातेदारी में वर्तमान खातेदार जाब्दी खां का नाम हटाकर वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 38 के नाम घोषित खातेदारी की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नीज. ....–........... मुबलिंग.............–................ बाबत......................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner